

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 1983/कार्तिक 30, 1905
No. 522] NEW DELHI, MONDAY NOV. 21, 1983/KARTIKA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विभागीय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1983

का. आ. 848(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 787(अ.) तारीख 1 नवम्बर, 1983 के अनुसारण में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के उस सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 अप्रैल, 1980 को निवृत्त हुआ था, स्थान को भरने के लिए निर्वाचन कराए गए हैं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 71 के अनुसरण में, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

क्रम संख्यांक सदस्य का नाम

1. श्री शमीम अहमद

[सं. 13/7/83-विधायी 2]

ह. वे. मू. पेरिशस्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1983

S.O. 848(E).—Whereas election has been held in pursuance of the notification No. S.O. 787(E) dated the 1st November, 1983 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of a member of the Council of States elected by the members of the electoral college of the Union territory of Delhi who retired on 15th April, 1980 on the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the said Act, the name of the member elected by the members of the electoral college of the Union territory of Delhi is hereby notified for general information :—

Serial Number	Name of member
1.	Shri Shamim Ahmed

[N. F. 13(7)|83-Leg.II]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.